दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>नि.प्र.अ. 413/2009</u>

निर्णय लिया गया: <u>09.01.2014</u>

<u>निम्न मामले में</u>:

जय सिंह व अन्य ..... अपीलार्थीगण

द्वारा: श्रीमती रेखा पल्ली, अधिवक्ता सह सुश्री अमृता प्रकाश और सुश्री अंकिता पटनायक, अधिवक्तागण

बनाम

मान सिंह व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री कमल जीत छिब्बर, अधिवक्ता

कोरम

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली

<u>न्या. हिमा कोहली</u> (मौखिक)

<u>सि.वि.आ. 19404/2013 (प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा आदेश XLI नियम 27 सहपठित धारा 151 सि.प्र.सं. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत)</u>

1. वर्तमान आवेदन प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा दायर किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

2. प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने दिनांक 22.05.2002 की एक अनुक्रमणिका के तहत पच्चीस दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ दाखिल की थी, जो कि विचारण न्यायालय में उनके लिखित बयान दाखिल करने के बाद की थी। दस्तावेजों की उक्त सूची में दिनांक 11.08.1953 और 11.02.1954 को दिल्ली सुधार ट्रस्ट द्वारा विषय परिसर संख्या 11805-11806, गली नंबर 6, सत नगर, करोल बाग के संबंध में निष्पादित पट्टा विलेख की प्रतियां शामिल हैं, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के पक्ष में थीं, जो उस समय, उनके पिता श्री राम सिंह की संरक्षकता में, नाबालिग थे। उक्त दस्तावेजों में दो विक्रय विलेखों की प्रतियां भी शामिल हैं, दोनों दिनांकित 06.09.1940 हैं, जो विषय परिसर के मूल पट्टेदार श्री बुधु के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 के पक्ष में निष्पादित किए गए थे, जिनका उल्लेख दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 1 और 10 में किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 ने लिखित बयान में व्यक्त प्रारंभिक आपत्ति के पैरा 9 में प्रकथन किया था कि वे विषय भूखंडों के मालिक हैं, जिन्हें उन्होंने स्वर्गीय श्री बुधु के बेटों से दो अलग-अलग विक्रय विलेखों के आधार पर खरीदा है, दोनों दिनांकित 06.09.1940 हैं और वे उन निर्मित संरचनाओं के भी मालिक हैं जो उक्त भूखंडों पर बनाई गई थीं। प्रत्यर्थीगण ने लिखित बयान के गुणागुण के आधार पर पैरा 3 में आगे कहा है कि विषयगत भूखंडों का आवंटन

दिल्ली सुधार ट्रस्ट द्वारा दिनाँक 11.08.1953 और 16.02.1954 के अनुबंधों के आधार पर किया गया था।

3. प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त दस्तावेज अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा दायर वाद का निर्णय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विषय भूखंडों के विभाजन के लिए डिक्री की प्रार्थना की गई है। हालांकि, प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से विचारण न्यायालय में वाद का संचालन करने वाले अधिवक्ता ने मूल दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने में विफल रहने या दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति के समय उन्हें प्रस्तुत करने में विफल रहने की गलती की थी, ताकि उन्हें प्रदर्शित किया जा सके। परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय को उपरोक्त दस्तावेजों की जांच करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि प्रतिवादीगण उन्हें प्रदर्शित करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किलों को उनके अधिवक्ता की मूर्खता के लिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए और न्यायहित में मांग है कि उक्त दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए और उन पर विचार किया जाए।

4. यद्यपि वर्तमान आवेदन पर नोटिस जारी नहीं किया गया है, अपीलार्थीगण/वादीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि उपरोक्त दस्तावेज वाद का निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए

आवश्यक हैं, विशेषत:, उनके द्वारा वाद में अनुरोध की गई राहत के आलोक में।

5. यह ध्यान देने योग्य है कि संलग्न अपील में अपीलार्थीगण/वादीगण ने दिनांक 25.09.2009 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें विषयगत संपत्तियों के संबंध में विभाजन और स्थायी व्यादेश के लिए उनके वाद को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थीगण/वादीगण का मामला यह है कि वे उक्त संपत्तियों का विभाजन मांगने के हकदार हैं, जो अपीलार्थी/वादी संख्या 1 के पिता श्री राम सिंह और प्रतिवादी संख्या 6 और 7 (श्री राम सिंह की दूसरी पत्नी श्रीमती कृष्णा प्यारी के पुत्र) और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (श्री राम सिंह की पहली पत्नी श्रीमती बादामी के पुत्र) के स्वामित्व में थीं।

6. उपरोक्त मुकदमे का प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 ने इस आधार पर विरोध किया कि वाद संपत्तियाँ श्री राम सिंह के स्वामित्व में नहीं थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है, बल्कि उनके स्वामित्व में थी। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपरोक्त अनुबंधों/बिक्री विलेखों आदि की छायाप्रतियाँ दाखिल करते समय, प्रतिवादी उनकी मूल प्रतियाँ दाखिल करने में विफल रहे, और स्वीकृति और अस्वीकृति के समय मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना तो दूर की बात है। परिणामस्वरूप, वाद में तैयार किए गए मुद्दों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय को उक्त दस्तावेजों का अवलोकन करने

का लाभ नहीं मिला, जिन्हें तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"1. क्या वादी के पास वर्तमान वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है? यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है।

2. क्या वर्तमान वाद आवश्यक पक्ष के गैर-संयोजन के लिए बुरा है? यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी -7 पर है।

3. क्या वर्तमान वाद का न्यायालय शुल्क के प्रयोजनार्थ उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है? यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी-7 पर है।

4. क्या वादी के पास वर्तमान वाद दायर करने का कोई कारण नहीं है? यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है।

5. क्या वादीगण विभाजन की प्रारंभिक डिक्री के हकदार हैं, जैसा कि प्रार्थना की गई है? यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है।

6. क्या वादी स्थायी व्यादेश के आदेश के हकदार हैं, जैसा कि प्रार्थना की गई है? यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है।

7. राहत"

7. प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा वाद दायर करने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र और कार्यवाही के कारण से संबंधित मुद्दा संख्या 1 और 4 के संबंध में जिम्मेदारी प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण पर डाली गई थी और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद, उपरोक्त मुद्दों को प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्ष में और अपीलार्थीगण/वादीगण के खिलाफ तय किया गया था। उक्त निर्णय मुख्य रूप से अभि.सा.-1, यानी अपीलकर्ता संख्या 1 के बयान और प्र.अभि.सा.-

1/3 से अभि.सा.-1/5 के रूप में प्रदर्शित दस्तावेजों पर आधारित है, जो वर्ष 1939-40, 1943, 1944 और 1975-76 से संबंधित वाद के भूखंडों की जमाबंदी हैं। उक्त दस्तावेज अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अभिलेख पर रखे गए थे, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के कहने पर उन्हें जाली बनाया और गढ़ा गया था। यह टिप्पणी करने के लिए कि उसके प्रतिपरीक्षण के दौरान, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी भौतिक नहीं आया, जिससे यह पता चले कि विषयगत संपत्तियां प्रतिवादियों की नहीं थीं या निर्माण उनकी मां द्वारा जुटाए गए धन से नहीं किया गया था, आक्षेपित निर्णय में प्र.सा.-1 (प्रतिवादी संख्या 1) की गवाही के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के मतदाता पहचान पत्र, प्र.अभि.सा.-1/8 और प्र.अभि.सा.-1/7 व प्रत्यर्थी संख्या 2 के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर भी विचार किया गया था। परिणामत:, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थीगण/वादीगण यह साबित करने में विफल रहे कि विषयगत संपत्तियों पर उनका कोई अधिकार था या उनके पास वाद दायर करने का अधिकार था, और राहत मांगने के लिए कोई कारण तो था ही नहीं। परिणामत:, वाद खारिज कर दिया गया।

8. अब प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने मूल दस्तावेज, जिनकी छायाप्रति पहले से ही उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर रखी गई थी, प्रस्तुत करने की छूट और उनके संबंध में स्वीकृति और अस्वीकृति की कार्यवाही कराने की अनुमति की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया है ताकि उन्हें

कानून के अनुसार और विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए नए निर्णय के अनुसार प्रदर्शित किया जा सके।

9. सि.प्र.सं. की धारा 107 अपीलीय न्यायालय को "ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो भी विहित हों", "अतिरिक्त साक्ष्य लेने या ऐसे साक्ष्य लेने की मांग करने" का अधिकार देती है। सि.प्र.सं. के आदेश 41 का नियम 27 इस विवेक पर रखी गई शर्तों और सीमाओं को निर्धारित करता है। नियम यह अभिकथित करते हुए शुरू होते हैं कि अपील के पक्षकार अपीलीय न्यायालय में मौखिक या दस्तावेजी अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे। इसके बाद यह दो परिस्थितियों को रेखांकित करता है, जहां अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। पहली परिस्थिति वह है जहाँ अपीलीय न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था और दूसरी परिस्थिति वह है जहाँ अपीलीय न्यायालय को ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता होती है ताकि वह निर्णय सुना सके या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से। जैसा कि **2004 (1) स्केल 82** के रूप में प्रकाशित <u>वादी बनाम अमीलाल व अन्य</u> के मामले में सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी की गई है, "*खंड (ख) को लागू किया जाना पक्षों की सतर्कता या लापरवाही पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि यह उनके लिए नहीं है। अपीलार्थी को इसका सहारा तब लेना चाहिए जब अभिलेख पर मौजूद सामग्री*

पर विचार करते हुए उसे लगे कि मामले में संतोषजनक निर्णय सुनाने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करना आवश्यक है।"

10. वर्तमान मामले में, विषयगत संपत्तियों के स्वामित्व के मुद्दे को संतोषजनक ढंग से स्थापित करने के लिए, यह आवश्यक था कि स्वामित्व के दस्तावेज अभिलेख पर आएँ। हालांकि, सर्वोत्तम साक्ष्य के अभाव में, विचारण न्यायालय के पास अपीलार्थीगण/वादीगण के अधिकार क्षेत्र और कार्यवाही के कारण के मुद्दे को द्वितीयक साक्ष्य के आधार पर तय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसमें वर्ष 1939-40 और 1943-44 के राजस्व रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियां शामिल थीं, जो केवल विषयगत संपत्तियों के कब्जे की स्थिति पर प्रकाश डाल सकती थीं। स्वामित्व के मुद्दे पर अस्पष्टता को दूर करने के प्रयोजनों के लिए, जो विभाजन के मुकदमे में सर्वोपरि विचारणीय है, न्यायहित की मांग है कि विषय परिसर से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेजों और प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिकार और कब्जे को एक न्यायसंगत और सही निर्णय पर पहुंचने के लिए देखा जाए।

11. तदनुसार, विषय परिसर के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ, जिनकी छायाप्रतियाँ प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में अनुक्रमणिका दिनांकित 22.5.2002 के तहत दायर की गई थी, को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12. हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से मूल स्वामित्व दस्तावेजों, जिनका मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव था और जो वर्तमान वाद के संतोषजनक न्यायनिर्णयन हेतु विचारण न्यायालय द्वारा विचार किए जाने हेतु महत्वपूर्ण थे, को दाखिल करने में विफलता के कारण है, इस आवेदन को चार सप्ताह के भीतर दूसरे पक्ष को लागत के रूप में 50,000/- रुपए के भुगतान के अधीन अनुमति देना उचित समझा जाता है।

13. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है और आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी गई है, मामले के पक्षकारों के लिए उक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने, प्रतिवादियों द्वारा दायर किए जाने वाले और/या निर्धारित तिथि पर पेश किए जाने वाले विषय संपत्तियों के मूल स्वामित्व विलेखों के संबंध में स्वीकृति व अस्वीकृति की कार्यवाही की जाने के लिए और कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए विचारण न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है।

14. इस स्तर पर, अपीलार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता ने कहा कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्तीगण/वादीगण के पक्ष में एक अंतरिम आदेश लागू था, जिसमें प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को वाद की संपत्तियों को हस्तांतरित करने, बेचने या अलग करने से रोका गया था और

उक्त संरक्षण उनके मुवक्किलों को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि विचारण न्यायालय वाद पर नए सिरे से निर्णय नहीं सुना देता।

15. जवाब में, प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का कहना है कि उनके मुवक्किल किसी भी तरह से वाद की संपत्तियों को न बेचने, स्थानांतरित न करने या अलग न करने का वचन देते हैं, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद का नए सिरे से न्यायनिर्णयन किया जाता है।

16. प्रत्यर्थीगण को पूर्वोक्त रूप से दर्ज अपने वचन के लिए बाध्य करते हुए, अपील का निपटान किया जाता है।

17. पक्षकारों को आगे की कार्यवाही के लिए 28 फरवरी, 2014 को विचारण न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

18. विचारण न्यायालय के अभिलेख को तुरंत निर्मुक्त किया जाए।

(हिमा कोहली)
न्यायाधीश

9 जनवरी, 2014
आरकेबी/एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*